भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4084

उत्तर देने की तारीख : 30.03.2026

सीपीएसई द्वारा एमएसएमई को भुगतान

4084 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और बड़े निगमों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय लंबित भुगतानों का राज्य-वार और सीपीएसई क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) एमएसएमई समाधान पोर्टल पर कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से कितने मामले हल किए गए हैं; और

(ग) समय पर भुगतान किए जाने का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं और विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : समाधान पोर्टल पर फरवरी, 2026 तक एमएसएमई की ओर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) द्वारा रिपोर्ट किए गए संचयी बकाया 21,137,88 करोड़ रुपए हैं, सीपीएसई द्वारा इनमें से 18,731.45 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने की सूचना दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 2,406.46 करोड़ रुपए राशि के लंबित बकाया है। समाधान पोर्टल पर फरवरी, 2026 तक सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट किए गए, बकाया का मंत्रालय-वार,ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों के लिए लंबित भुगतान के मामलों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए, सरकार ने दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल की शुरुआत की। दर्ज किए गए मामलों को लागू कानूनों के तहत बनाए गए संगत प्रावधानों के अनुसार एमएसई विक्रेता और खरीदार के बीच विवाद के समाधान के लिए संबंधित एमएसईएफसी को भेजा जाता है। समाधान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एमएसई द्वारा दर्ज आवेदनों की संख्या 2,56,892 है। इनमें से 1,60,7433 मामलों का निपटान सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार, दर्ज आवेदनों और निपटाए गए मामलों का प्रतिशत लगभग 62% है।

(ग) : सरकार ने एमएसई को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15 के अनुसार, एमएसई को भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एमएसई के विलंबित भुगतानों के मामलों का निपटान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमएसईएफसी की स्थापना की गई है।

ii. सरकार ने एमएसई को विलंबित भुगतान मामलों के त्वरित, लागत-प्रभावी और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल की शुरुआत की। दिनांक 15.10.2025 से एमएसई द्वारा भुगतान में विलंब से संबंधित सभी नए मामले एमएसएमई ओडीआर पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे हैं। दिनांक 10.03.2026 तक, इस पोर्टल पर कुल 14,814 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 26 मामलों का समाधान हो चुका है।

iii. ओडीआर फ्रेमवर्क के तहत मुकदमेबाजी से पहले संवाद-आधारित तंत्र की शुरुआत से एमएसईएफसी द्वारा मामले के औपचारिक निर्णय से पहले खरीदार और विक्रेता के बीच स्वैच्छिक मध्यस्थता, समझौता या बातचीत को प्रोत्साहन मिलता है।

iv. सरकार ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना सां.आ. 4845(अ) के माध्यम से सीपीएसई और 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) को अपनाने का निर्देश दिया है, जो एमएसएमई के व्यापार प्राप्य राशियों की छूट को कई वित्तदाताओं के माध्यम से सुगम बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।

अनुबंध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4084, जिसका उत्तर दिनांक 30.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

समाधान पोर्टल पर सीपीएसई द्वारा फरवरी, 2026 माह के अंत तक रिपोर्ट किए गए मंत्रालय-वार बकाया				
क्र॰ सं॰	**मंत्रालय का नाम**	**एमएसएमई को रिपोर्ट किया गया संचयी बकाया (करोड़ रुपए में)**	**रिपोर्ट की गई भुगतान राशि (करोड़ रुपए में)**	**रिपोर्ट किया गया कुल लंबित बकाया (करोड़ रुपए में)**
1	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10,179.49	9,308.58	870.91
2	रक्षा मंत्रालय	5,300.82	5,251.81	49.01
3	विद्युत मंत्रालय	1,088.88	919.14	169.73
4	इस्पात मंत्रालय	1,072.37	865.14	207.23
5	भारी उद्योग मंत्रालय	1,001.90	952.25	49.65
6	कोयला मंत्रालय	702.33	306.10	396.23
7	संचार मंत्रालय	411.50	109.33	302.17
8	परमाणु ऊर्जा मंत्रालय	394.30	360.54	33.76
9	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	233.32	164.62	68.71
10	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	204.74	125.52	79.22
11	पोत परिवहन मंत्रालय	144.37	102.72	41.66
12	रेल मंत्रालय	86.09	83.04	3.05
13	पर्यटन मंत्रालय	84.22	20.72	63.50
14	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	66.99	40.66	26.33
15	खान मंत्रालय	39.31	38.65	0.66
16	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	30.09	26.25	3.84
17	वित्त मंत्रालय	28.55	23.78	4.77
18	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	20.47	11.20	9.27
19	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	16.02	2.34	13.68
20	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	11.47	11.35	0.13
21	वस्त्र मंत्रालय	9.87	2.14	7.73
22	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	3.86	3.82	0.05
23	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3.31	0	3.31
24	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	2.20	0.45	1.75
25	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	0.91	0.91	0
26	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	0.12	0.12	0
27	अंतरिक्ष मंत्रालय	0.11	0.11	0
28	नागर विमानन मंत्रालय	0.10	0	0.10
29	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	0.09	0.09	0
30	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	0.06	0.06	0
31	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	0.01	0	0.01
32	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	0.01	0.01	0
	कुल योग	**21,137.88**	**18,731.45**	**2,406.46**